प्रकरण संख्या : 42/2024
कैलाश चन्द वगै. बनाम राज. सरकार
निर्णय दिनांक : 29.01.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	42/2024
दायर दिनांक	:	07.06.2024
निर्णय दिनांक	:	29.01.2025

1. कैलाश चन्द पुत्र कल्याण सहाय जाति महाजन, निवासी दौसा तहसील व जिला दौसा
2. रमेश चन्द पुत्र कल्याण सहाय जाति महाजन, निवासी दौसा तहसील व जिला दौसा
3. राजेश पुत्र कल्याण सहाय जाति महाजन, निवासी दौसा तहसील व जिला दौसा
4. सुरेश चन्द पुत्र कल्याण सहाय जाति महाजन, निवासी दौसा तहसील व जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जिरोता कलां तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 26, 27, 28, 29, 30, 31 कुल किता 6 कुल रकबा 5.18 है. के प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि का दिनांक 24.05.2024 को सीमाज्ञान कराया जा चुका है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि व उसकी फसल की सुरक्षा रहे एवं किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर पत्थरगढी व तारबन्दी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रश्नगत आराजी का मय पुलिस इमदाद सीमाज्ञान कर पत्थरगढी व तारबन्दी किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान करा दिया गया है। प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रश्नगत आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:38:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने का कथन किया है। चूँकि प्रश्नगत आराजी की

खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम जिरोता कलां तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 26, 27, 28, 29, 30, 31 कुल किता 6 कुल रकबा 5.18 है० का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:38:36 IST
Reason: SelfAttested